Urgent
RCMS Portal Updation
by E-Mail

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-1 विभाग

क्रमांकः प.12(3)राज-1/2016 जयपुर, दिनांक : 23.11.2016

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय : आर.सी.एम.एस. पोर्टल को आवश्यक रूप से नियमित अपडेट करवाने बाबत।

संदर्भ : इस विभाग का समसमंख्यक पत्र दिनांक 20.10.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर निर्देशानुसार लेख है कि विभिन्न राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों द्वारा वर्तमान में राजस्व न्यायालयों हेतु अनिवार्य RCMS पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट नहीं किया जा रहा है। पोर्टल की इस स्थिति को मा. मुख्यमंत्री महोदया द्वारा गंभीरता से लिया गया है।

राजस्व न्यायालयों में लंबित/दर्ज प्रकरणों के निस्तारण की विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग आदि में RCMS पोर्टल का विशेष महत्व है। वाद दायरी से लेकर निर्णय तक की समस्त कार्यवाही RCMS पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड की जानी अनिवार्य है।

अतः कृपया समस्त राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को वाद दायरी से लेकर निर्णय तक की समस्त कार्यवाही RCMS पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड किया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करावें।

भवदीया

(दुर्गा जोशी)
संयुक्त शासन सचिव

निर्देशानुसार प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, सचिव (द्वितीय), मा. मुख्यमंत्री।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राज0।
3. निबंधक, राजस्व मण्डल राज0, अजमेर।
4. संयुक्त निदेशक एवं प्रभारी अधिकारी आरसीएमएस पोर्टल, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, योजना भवन, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1,2,5) विभाग, कमरा नं. 5120, मु.भ. शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
दूरभाष एवं फैक्स नं. 0141-2385149 ईमेल: dsrevenue1@msn.com